सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 616 राँची, रविवार

25 श्रावण, 1937 (श०)

16 अगस्त, 2015 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

12 अगस्त, 2015

1. उपायुक्त, देवघर के पत्रांक-190/स्था0, दिनांक 17 मार्च, 2011

2. कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का संकल्प सं0-9140, दिनांक 11 सितम्बर, 2014 एवं पत्रांक- पत्रांक-4412, दिनांक 15 मई, 2015

3. श्री शुभेन्द्र झा, से0नि0 भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड का पत्रांक-49, दिनांक 10 मार्च, 2015

संख्या- 5/आरोप-1-27/2014 का०-7271--श्री आसफ अली, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-811/03, गृह जिला- राँची), के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सारठ, देवघर के कार्यावधि से संबंधित उपायुक्त, देवघर के पत्रांक-190/स्था0, दिनांक 17 मार्च, 2011 द्वारा

आरोप प्रपत्र- 'क' उपलब्ध कराया गया है। समीक्षोपरान्त पुनः विभाग द्वारा प्रपत्र- 'क' गठित किया गया है, जिसमें निम्नवत् आरोप गठित किये गये हैं:-

1. श्री अली द्वारा लाभुक श्री धरणी महरा को पूर्व में स्वीकृत/कार्यशील स्थल पर कूप निर्माण हेतु प्रस्ताव दिया गया तथा बिना स्थल निरीक्षण किये कार्यादेश दिया गया।

2. लाभुक श्री धरणी महरा को बिना स्थल जाँच किये कूप निर्माण हेतु प्रथम एवं द्वितीय अग्रिम की स्वीकृति दी गयी।

3. 32000/- रूपये के फर्जी विपत्र को अस्वीकृत नहीं किया जाना।

4. संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना- 22.5% व्यक्तिगत लाभ के अंतर्गत योजना सं0-21/ 2005-06 में कूप निर्माण कार्य के बकाये बिल भुगतान हेतु लाभुक श्री आसफ अली, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सारठ द्वारा लाभुक श्री धरणी महरा से 2000/- रूपये रिश्वत की माँग की गयी, जो सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रतिकूल है।

उक्त आरोपों हेतु विभागीय संकल्प सं0-9140, दिनांक 11 सितम्बर, 2014 द्वारा श्री अली के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्री शुभेन्द्र झा, सेवानिवृत भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

श्री झा के पत्रांक-49, दिनांक 10 मार्च, 2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। श्री अली के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त, प्रपत्र- 'क' में अंकित प्रमाणित आरोपों के लिए श्री अली के विरूद्ध निन्दन एवं दो वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड प्रस्तावित किया गया। विभागीय पत्रांक-4412, दिनांक 15 मई, 2015 द्वारा श्री अली से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

श्री अली के पत्र, दिनांक 13 जून, .2015 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया। श्री अली ने द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में ऐसा कोई नया तथ्य नहीं दिया गया है, जिसपर पूर्व में विचार नहीं किया गया हो। अतः श्री अली के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के संदर्भ में उनसे प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर को अस्वीकृत करते हुए असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-49(1) एवं (2) के तहत् निम्नवत् दण्ड अधिरोपित किया जाता है:-

(क) निन्दन,

(ख) दो वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रमोद कुमार तिवारी,
सरकार के उप सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 616—50 ।